बाढ़-बारिश की चपेट में कई राज्य

1900 गांव बाढ़ की चपेट में | **47** लोगों की पंजाब में मौत

नई दिल्ली/लुधियाना/कपूरथला/बस्ती/05 सितंबर (वार्ता). उत्तर भारत में लगातार बारिश और भाखड़ा बांध से छोड़े गए पानी ने पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में भारी तबाही मचाई है.

पंजाब के 1900 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. बाढ़ ने अब तक 47 लोगों की जान ले ली है और हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं. खेत-खलिहान जलमग्न हैं, राहत कार्य जारी हैं, लेकिन संकट अभी टला नहीं है. उत्तर भारत में पिछले पांच दिनों से जारी भारी बारिश और भाखड़ा बांध से छोड़े गए पानी के चलते पंजाब और दिल्ली-एनसीआर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं. हजारों गांव जलमग्न हो चुके हैं और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. सेना लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गढ़ी मेंडू गांव में बाढ़ में लापता हुए 45 वर्षीय ओमबीर का शव दो दिन बाद मिला. पुलिस और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाकर शव बरामद किया. इधर, पंजाब के लुधियाना में सतलुज नदी पर बना ससराली बांध खतरे की स्थिति में है. बांध पर भारी दबाव है और किसी भी वक्त टूट सकता है. इसके चलते प्रशासन ने 14 गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है.

> बस्ती उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शुक्रवार को सरयू नदी का जलस्तर खतरे के बिन्दु से 50 सेमी ऊपर पहुंच गया. केन्द्रीय जल आयोग के सूत्रों ने यहां आज यह जानकारी देते हुए बताया है कि सरयू नदी का जलस्तर और नदी कई बन्धों पर दबाव बनाये हुए है. वर्तमान समय में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के बिन्दु 92.730 के ऊपर 93.230 पर है. नदी का जलस्तर 50 सेमी. ऊपर है. जलस्तर बढ़ने से दुबौलिया क्षेत्र के सूबिका बाबू गांव पूरी तरह से पानी से घिर गया है. प्रशासन द्वारा वहां नाव और मोटर बोट की व्यवस्था करायी गयी है.

नालों की सफाई न कराने पर बाढ़ जैसे हालात

नई दिल्ली, 05 सितंबर (वार्ता). आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने डिसिल्टिंग नहीं कराई जिससे दिल्लीवालों को बारिश के बाद तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

केजरीवाल ने शुक्रवार को यहां शास्त्री पार्क में दिल्ली सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लगाए गए राहत कैंपों का दौरा कर कहा कि दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. तमाम इलाकों में पानी भर गया है. लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं. इन शिविरों में भी तमाम परेशानियां हैं, खाने और पानी तक का ठीक इंतजाम नहीं है. लोग बारिश के नीचे रात गुजराने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, क्योंकि भाजपा सरकार ने डिसिल्टिंग नहीं कराई थी. इसलिए दिल्लीवालों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में भारी बारिश की वजह से तबाही हो रही है. केंद्र सरकार ने जैसे भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान के लिए राहत सामग्री भेजी, वैसे ही सरकार को इन राज्यों की ओर भी ध्यान देना चाहिए.

> केजरीवाल ने कहा हम समझ सकते हैं, यह कुदरत का कहर है लेकिन ऐसे समय में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह गरीबों और दूसरे नागरिकों के लिए सारे जरूरी इंतजाम करे. हमारा निवेदन है कि जिन राहत शिविरों में गरीब लोग रहने को मजबूर हैं, वहां सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं. उन्होंने आगे कहा, इस समय जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड सहित पूरा उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में है. हम केंद्र सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए जितना बन सके, उतना काम करे.

पाकिस्तान में 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित

इस्लामाबाद, 05 सितंबर (वार्ता). पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नदियों का जल स्तर बढ़ने और नदी तटबंधों के टूटने से आयी बाढ़ के से लगभग 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और उन्हें विस्थापित होना पड़ा है. प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि रावी, सतलज और चेनाब नदियों में आयी भीषण बाढ़ ने पूरे देश के सबसे अधिक आबादी वाले पंजाब प्रांत में तबाही मचा दी है, जिससे 12 करोड़ 7 लाख से अधिक आबादी प्रभावित हुई है. पिछले 24 घंटों के दौरान सैकड़ों गांव डूब गए, जिससे बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या बढ़कर 4000 से अधिक हो गई तथा लाखों एकड़ में फैली फसलें जलमग्न हो गई हैं.

पंजाब को राहत देने के लिए सरकार तैयार

केंद्रीय मंत्री शिवराज ने ट्वीट कर दी जानकारी

चंडीगढ़/ लुधियाना/नई दिल्ली, 05 सितंबर (वार्ता). पंजाब में आई बाढ़ से पैदा हुई भयावह स्थिति को लेकर केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हालात को ट्विटर पे साझा किया. शिवराज सिंह चौहान ने दौरे के बाद एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बताया कि पंजाब में जलप्रलय की स्थिति है. फसलें तबाह और बर्बाद हो गई हैं. संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब की जनता और किसानों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि अब पंजाब को इस संकट से बाहर निकालने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनानी होंगी. उन्होंने बताया कि वह प्रधानमंत्री को नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र कोई कसर नहीं छोड़ेगा. चौहान ने यह भी कहा कि जैसे-जैसे पानी कम होगा, बीमारियों का खतरा बढ़ेगा. मरे हुए पशुओं का सुरक्षित निस्तारण और खेतों में जमी सिल्ट को हटाना प्राथमिकता होगी, ताकि अगली फसल को नुकसान न पहुंचे.

> शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ के बीच मानवता की मिसाल पेश करने वाले समाजसेवियों की भी सराहना की. उन्होंने कहा, हजारों लोग ट्रैक्टरों में भोजन, कपड़े और दवाइयां लेकर गांवों में सेवा कर रहे हैं. यही सेवा भाव हमें हर संकट से उबारता है. उन्होंने यह भी कहा कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, देश और केंद्र सरकार पंजाब की जनता के साथ खड़ी है और इस त्रासदी से मिलकर बाहर निकाला जाएगा. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रकाश सिंह बादल के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर नदियों पर बनाए गए बांधों को मज़बूत किया गया था. लेकिन आज अवैध खनन के कारण वे कमजोर हो गए हैं, जिससे गांवों में पानी घुस आया.

अमृतसर में 5 तस्कर गिरफ्तार पिस्तौल, गोला-बारूद जब्त

जालंधर, 05 सितंबर (वार्ता). सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने सीमा पार से होने वाली तस्करी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर सीमा पर अलग-अलग घटनाओं में पांच तस्करों को गिरफ्तार किया और पिस्तौल, गोला-बारूद तथा हेरोइन बरामद की है.

बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के जनसंपर्क अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि ड्रोन की गतिविधि का पता चलने पर, बीएसएफ जवानों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया और अमृतसर के भैणी राजपूताना गांव से सटे एक खेत से 1.680 किलोग्राम हेरोइन के तीन पैकेट बरामद किये.

एक अन्य घटना में, सतर्क बीएसएफ जवानों ने एक संदिग्ध घर की तलाशी ली और तीन संदिग्धों को उनके कब्जे से एक पिस्तौल, दो मैगज़ीन, 63 कारतूस और चार मोबाइल फ़ोन वाले दो पैकेट के साथ गिरफ्तार किया. सभी बंदी भैणी राजपुताना के निवासी हैं. उनके संबंधों का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है. कल शाम, बीएसएफ जवानों ने रोरनवाला कलां गांव के पास दो तस्करों को पकड़ लिया.

शिक्षामित्रों व अनुदेशकों का मानदेय बढ़ेगा

लखनऊ, 05 सितंबर. शिक्षक दिवस समारोह पर सीएम योगी ने नौ लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया. अब सभी को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. साथ ही शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ाने की तैयारी है. शिक्षक दिवस पर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के शिक्षकों को एक ऐतिहासिक तोहफा दिया. राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में योगी ने परिषदीय और माध्यमिक शिक्षा विभाग के कुल 81 शिक्षकों को सम्मानित किया. इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के करीब नौ लाख शिक्षक और उनके परिवार अब कैशलेस इलाज सुविधा का लाभ ले सकेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से बेसिक, माध्यमिक, राजकीय, एडेड और स्ववित्तपोषित शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा.

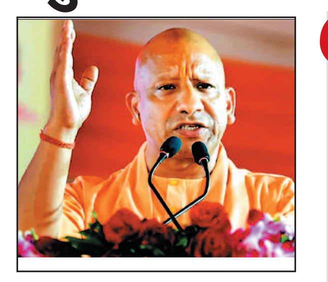

> योगी आदित्यनाथ ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए समिति गठित की जा चुकी है. समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी. सीएम ने शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यूपी की बेसिक शिक्षा ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है.

आज का इतिहास

1776 ग्वाडेलोप द्वीप में तूफान से छह हजार से अधिक लोगों की मौत।

1838 पंजाब के महाराज रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र दलीप सिंह का जन्म।

1869 पेंसिल्वेनिया के अवोंदेल में एक खदान में आग लगने से 110 लोग मरे।

1905 अटलांटा जीवन बीमा कंपनी की शुरुआत हुई।

1914 फ्रांस एवं जर्मनी के बीच मार्ने का युद्ध प्रारम्भ।

1924 इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी की हत्या का प्रयास विफल।

1929-भारतीय फ़िल्म निर्माता यश जौहर का जन्म।

1939-दक्षिण अफ्रीका ने नाजी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की।

1948-जुलियाना नीदरलैंड की महारानी बनीं।

1952-कनाडा टी.वी. की मॉन्ट्रियल में शुरुआत।

1965-ताशकन्द समझौता (भारत-पाकिस्तान युद्ध) हुआ।

नीतीश ने किया योजनाओं का शिलान्यास

> पटना में 1159 करोड़ 84 लाख रुपये लागत से होंगे कार्य

पटना, 05 सितंबर (वार्ता). बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना के पुनपुन में 1159 करोड़ 84 लाख रुपये लागत की 17 योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ एवं लोकार्पण किया.

कुमार ने आज पुनपुन में आयोजित कार्यक्रम स्थल से पटना जिला अंतर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित 1159 करोड़ 84 लाख लागत की 17 योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ एवं लोकार्पण किया. इसके अंतर्गत 19.77 करोड़ की लागत से पालीगंज प्रखंड अंतर्गत समदा एवं गुलरिया विगहा गांव के बीच पुनपुन नदी पर आर.सी.सी पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण कार्य, 14 करोड़ 99 लाख रुपये की लागत से पालीगंज के उलार सूर्य मंदिर में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास कार्य, 88 लाख की लागत से पुनपुन स्टेशन से अकौना ग्राम होते हुए पटना रिंग रोड को जोड़नेवाली सहायक रोड तक पथ निर्माण कार्य, 41.48 करोड़ की लागत से सादिकपुर-पमेड़ा-मसौढ़ी पथ के सोहगी मोड़ को पटना-गया रोड के कंडाप को 2-लेन सड़क से जोड़ने के कार्य, 82.99 करोड की लागत से पुनपुन पिण्डदान स्थल पर निर्मित लक्ष्मण झूला केबल सस्पेंशन पुल का निर्माण कार्य सहित अन्य योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ एवं लोकार्पण कार्य शामिल है. कुमार ने लक्ष्मण केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया. कुमार ने उद्घाटन के बाद पुल का निरीक्षण किया. आज के कार्यक्रम के अन्तर्गत 130 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से नौ विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, लाईनों का निर्माण, 10 करोड़ 20 लाख की लागत से आठ विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों में पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता विस्तार का कार्य होगा.

कब्जे की सूचना - (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL द्वारा यहां उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज सहित प्रभारित किया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" की बकाया राशि, सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां "IIFL HFL" द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएंगी और सुरक्षित संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए "IIFL HFL" द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री विष्णु गुप्ता श्रीमती तेजस्विनी गुप्ता सैंडविच पॉइंट (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10692960)	प्लॉट संख्या E25, सिंगापुर मिड वे, ग्राम सोनवे, तहसील राऊ, धन्नाड़, इंदौर, म.प्र., 453332 का पूरा टुकड़ा। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमिक्षेत्र, बिक्री योग्यक्षेत्र संपत्ति क्षेत्रफलः 372.00, 372.00।	रु.1114800/- (ग्यारह लाख चौदह हजार आठ सौ मात्र)	20/05/2025	03/09/2025

अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा कार्यालयः 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेसकोर्स रोड, इंदौर-452001, मध्य प्रदेश/या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा में प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः इन्दौर | दिनांकः 06.09.2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय राजकुमारी लहेजा और प्रकाश लहेजा के नाम पर ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फोलियो संख्या R-81837 के अंतर्गत 2/- अंकित मूल्य के प्रमाणपत्र संख्या 3117458 और विशिष्ट संख्या 448829871-448830065 वाले 195 इक्विटी शेयर खो गए हैं या गुम हो गए हैं और अधोहस्ताक्षरी ने उक्त शेयरों के लिए डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने हेतु कंपनी से आवेदन किया है।

उक्त शेयरों के संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई दावा हो, तो कृपया इस तिथि से एक महीने के भीतर हमारे रजिस्ट्रार, केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना-500032 को लिखें, अन्यथा कंपनी डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यवाही करेगी।

प्रकाश लालचंद लाहेजा
दावेदार का नाम

दिनांक : 06.09.2025
स्थान : नागदा, मध्य प्रदेश

सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रकाश लहेजा और भारती प्रकाश लहेजा के नाम पर ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फोलियो संख्या P-12198 के अंतर्गत 2/- अंकित मूल्य के प्रमाणपत्र संख्या 3117541 और विशिष्ट संख्या 448841701-448842050 वाले 350 इक्विटी शेयर खो गए हैं या गुम हो गए हैं और अधोहस्ताक्षरी ने उक्त शेयरों के लिए डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने हेतु कंपनी से आवेदन किया है।

उक्त शेयरों के संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई दावा हो, तो कृपया इस तिथि से एक महीने के भीतर हमारे रजिस्ट्रार, केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना-500032 को लिखें, अन्यथा कंपनी डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यवाही करेगी।

प्रकाश लालचंद लाहेजा और भारती प्रकाश लाहेजा
दावेदार का नाम

दिनांक: 06.09.2025
स्थान: नागदा, मध्य प्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के संग एकीकृत)
(CIN: L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

सार्वजनिक सूचना

स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड से उसके द्वारा प्राप्त स्वर्ण आभूषण के विरुद्ध ऋण सुविधा के लिए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. चूंकि उधारकर्ता सुविधा के तहत बकाया राशि चुकाने में विफल रहा है. हम 16/09/2025 को गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों की नीलामी करने के लिए बाध्य हैं. यदि इस नीलामी से कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई घाटा होता है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के निम्नलिखित खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार है. इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी तिथि को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

ऋण खाता संख्या	ग्राहक का नाम	शाखा का नाम
153902341	नानालाल मालवीय	नागदा रूरल
155141965	मनमोहन रामकिशन	खातेगांव रूरल
155653291	अनीता सोनी	नागदा रूरल

नीलामी https://idfcegold.auctiontiger.net के माध्यम से 16/09/2025 को दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक/ http://gold.samil.in के माध्यम से 16/09/2025 को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी. इस प्रकाशन के माध्यम से संबंधित उधारकर्ता को अंतिम सूचना और अंतिम अवसर दिया जाता है कि वे निर्धारित नीलामी तिथि से पहले सभी ब्याज और शुल्कों के साथ सुविधा वापस ली गई राशि का भुगतान करें, अन्यथा आभूषणों की नीलामी की जाएगी. कृपया ध्यान दें कि यदि समय सीमा के कारण नीलामी उसी दिन पूरी नहीं होती है, तो बैंक अगले 7 दिनों के भीतर उन्हीं नियमों और शर्तों पर गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की फिर से नीलामी करेगा. यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उसके कानूनी उत्तराधिकारियों पर लागू होंगी.

दिनांक-6/9/2025, स्थान- मध्यप्रदेश

CENTRUM Home Loans — डिमांड नोटिस

Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098, सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ की धारा १३(२) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ (१) के साथ पठित

अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं. उक्त अधिनियम की धारा १३ (१२) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ के साथ पठित, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा १३ (२) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं (उक्त उधारकर्ता) से राशि वापस करने का आह्वान किया गया है. उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से ६० दिनों के भीतर सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, साथ ही उक्त डिमांड नोटिस में विस्तृत रूप से देय राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान की तारीख तक ब्याज और अन्य शुल्क भी देना होगा. नीचे उल्लिखित तारीखों से लेकर भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, उक्त उधारकताओं द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों / लिखित दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय ऋण की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उधारकताओं द्वारा सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखा गया है

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या/उधारकर्ता (ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	कुल बकाया राशि (रु.)	एनपीए दिनांक / सेक. 13(2) नोटिस दिनांक / एफसीएल दिनांक	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1	UDRNM24014667/ घनश्याम मेघवाल/ कैलाश बाई मेघवाल	रु. 4,39,641.00 (चार लाख उनचालीस हजार छह सौ इकतालीस)	08-08-2025 30-08-2025 21-08-2025	सर्वे क्रमांक 525, मकान क्रमांक 188, प्रवेश 788 वर्ग फुट, पीएच. क्रमांक 13, वार्ड क्रमांक 12, ग्राम-ढकनी, तहसील- मनासा, जिला-नीमच-458113, मध्य प्रदेश के अंतर्गत अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल। सीमाएँ:- पूर्वः ज्ञानश्याम मालवीय और जीवन मालवीय का घर, पश्चिमः शांतिलाल परिहार का घर, उत्तरः अमरलाल और रतनलाल के पुत्र बद्रीराम का घर, दक्षिणः आम रास्ता।
2	UDRNM23014168 / राजकुमार दमामी/ मधुबाला मधुबाला	रु. 8,35,401.00 (आठ लाख पैंतीस हजार चार सौ एक मात्र)	08-08-2025 30-08-2025 21-08-2025	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल, मकान क्रमांक 431, वार्ड क्रमांक 06, पीएच.एन. 39, 3133 वर्ग फुट, आबादी भूमि पर स्थित, ग्राम-छायन, तहसील एवं जिला-नीमच-458441, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः सड़क, पश्चिमः बलवंत सिंह का घर, उत्तरः बेरूलाल का घर, दक्षिणः मनोहर सिंह का घर
3	UDRNM24014749/किशोर मीना/समता कुमारी मीना/ प्रभुलाल मीना/जानी बाई	रु. 9,95,115.00 (नौ लाख पिनच्यानवे हजार एक सौ पंद्रह मात्र)	08-08-2025 30-08-2025 21-08-2025	अधिकारों में, अचल संपत्ति का एक टुकड़ा और पार्सल, जिसका नाम हैः पीएच. संख्या 37, प्रवेश 2714 वर्ग फुट, एलएसएन 171, ग्राम समेल, जावद और जिला-नीमच-458220, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः स्वयं की भूमि और सार्वजनिक सड़क, पश्चिमः जीतमल पुत्र पन्नालाल का घर, उत्तरः सार्वजनिक सड़क, दक्षिणः जगदीश पुत्र हीरालाल का घर
4	UDRNM23014444 / कमल सिंह चौहान / मांगीबाई चौहान	रु. 9,49,273.00 (नौ लाख उनचास हजार दो सौ तिहत्तर मात्र)	08-08-2025 30-08-2025 21-08-2025	अधिकारों में, अचल संपत्ति का एक टुकड़ा और पार्सल, जिसका नाम हैः सर्वेक्षण संख्या 330, पीएचएन 39, प्रवेश 3098 वर्ग फुट, ग्राम। बेलारी, जिला- नीमच-458441, मध्य प्रदेश सीमाएँ:- पूर्वः कॉमन रोड पश्चिमः भगतसिंह का घर उत्तरः श्यामसिंह का घर दक्षिणः हरिसिंह का घर
5	UDRMD24016448/जगदीश जगदीश/गीता बाई/ रामनिवास रामनिवास(जी)	रु. 8,59,283.00 (आठ लाख उनसठ हजार दो सौ तेरासी मात्र)	08-08-2025 30-08-2025 21-08-2025	ग्राम पलड़िया मारू, प्रशासन 1400 वर्ग फुट, तहसील एवं जिला- मंदसौर-458858, मध्य प्रदेश में स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, एक टुकड़ा और पार्सल। सीमाएँ:- पूर्वः गोविंद बंजारा पश्चिमः रोड उत्तरः अनिल बचड़ा दक्षिणः मंदसौर रोड
6	UDRNM24016567/मुंशी शाह/सलमा बी शाह/ रहीशा बी	रु. 8,13,590.00 (आठ लाख तेरह हजार पाँच सौ नब्बे मात्र)	08-08-2025 30-08-2025 21-08-2025	ग्राम कचोली, तहसील एवं जिला- नीमच-458336, मध्य प्रदेश में स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, एक टुकड़ा और पार्सल। सीमाएँ:- पूर्वः आम सड़क, पश्चिमः भेरूसिंह का खेत, उत्तरः नारायणसिंह का खेत, दक्षिणः नारायणसिंह का खेत, सर्वे संख्या 508/3 मील, फोन नंबर 19, प्रवेश 269 वर्ग फुट, ग्राम-कचोली, तहसील और जिला-नीमच-458336, मध्य प्रदेश, के अधिकार क्षेत्र में, अचल संपत्ति का एक टुकड़ा और पार्सल। सीमाएँ:- पूर्वः आम सड़क, पश्चिमः क्रेता का प्लॉट, उत्तरः हरिसिंह का प्लॉट, दक्षिणः भीमसिंह का प्लॉट।
7	UDRNM24017800/राजू गरासिया/केशरबाई	रु. 8,80,849.00 (आठ लाख अस्सी हजार आठ सौ उनचास मात्र)	08-08-2025 30-08-2025 23-08-2025	मकान नंबर 27, ph नंबर 41, प्रवेश 51.11 वर्ग मीटर, भूमि सर्वे संख्या 166, ग्राम-मालाहेड़ा, तहसील-मनासा, जिला-नीमच-458110, मध्य प्रदेश, के अधिकार क्षेत्र में, अचल संपत्ति का एक टुकड़ा और पार्सल। सीमाएँ: पूर्वः तूफान का घर, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः गली, दक्षिणः सूरजमल की जमीन

यदि उक्त उधारकर्ता सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से लागत और परिणामों के रूप में उक्त उधारकताओं के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकताओं को अधिनियम के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः मध्यप्रदेश, दिनांक : 06.09.2025

एसडी/- सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए अधिकृत अधिकारी

CFM thoughtful regeneration — सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड CIN: U67100GJ2015PTC083994

पहली मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई -400038 ईमेलः ram-jaluka@cfmarc-in संपर्कः 022-40055282/8976862752

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित

"फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने 21 मार्च 2025 के असाइनमेंट डीड के जरिए सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ऋण सौंप दिया है। जो वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (एसएआरएफएईएसआई अधिनियम) की धारा 3 के अंतर्गत एक एसेट पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ विधिवत पंजीकृत है।

निम्नलिखित ऋणी ने फिनोवा प्राइवेट लिमिटेड "मूल ऋणदाता" से विभिन्न वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। ऋणदाता ने गारंटर और बंधककर्ता के साथ मिलकर ऋण की चुकौती को सुरक्षित करने के लिए अपनी चल और अचल संपत्तियों पर सुरक्षा हित बनाया था। मूल ऋणदाता द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं के लिए ऋणी, गारंटर और बंधककर्ता द्वारा निष्पादित विभिन्न ऋण दस्तावेजों का विवरण।

ऋणी द्वारा किए गए चूक के बाद, मूल ऋणदाता ने समय-समय पर (आरबीआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और निर्देशों के अनुसार उनके खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया था। इसके बाद, मूल ऋणदाता ने पंजीकृत असाइनमेंट समझौते के अनुसार, ऋणों में अपने सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, साथ ही उसमें अंतर्निहित सुरक्षा हितों को SARFAESI अधिनियम की धारा 5 के तहत CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (CFMARC) के पक्ष में सौंप दिया और ऋणी के लिए सुरक्षित ऋणदाता की भूमिका में आ गया और बकाया राशि वसूलने और अंतर्निहित सुरक्षा हितों को लागू करने का हकदार है।

नीचे हस्ताक्षरकर्ता SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत सीएफएमएआरसी के एक अधिकृत अधिकारी होने के नाते, निम्नलिखित ऋणी से संयुक्त रूप से और अलग-अलग बकाया राशि का भुगतान करने और संपूर्ण ऋण देयता का भुगतान अनुबंध दर पर भविष्य के ब्याज के साथ-साथ आकस्मिक खर्च, लागत, प्रभार आदि के साथ भुगतान और ध्या वसूली की तारीख तक इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने का आह्वान करते हैं, अन्यथा बकाया राशि वसूलने के लिए SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ऋणी/सह-ऋणी एवं गारण्टर का नाम एवं पता	13 (2) के अधीन मांग राशि एवं दिनांक	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) 5013370, रमेश प्रजापति (ऋणी/बंधककर्ता), पूजा प्रजापति (सहऋणी), श्याम सिंह चौहान (गारंटर)	27.05.2025 Rs. 2,96,481/- दो लाख छियानवे हजार चार सौ इक्यासी रूपये मात्र 31.03.2025 तक	संपत्ति स्थित पीएच नं. 38, वार्ड नं. 11, मकान नं. 374, ग्राम धसोरिया, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर, मप्र 458880, क्षेत्रफल 350 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) 5013821, निर्मल शर्मा (ऋणी), ज्योति झाला (सहऋणी), पुष्पा बाई शर्मा (सहऋणी), बाल चंद शर्मा (सहऋणी), मांगी लाल पंवार (गारंटर)	27.05.2025 Rs. 5,77,145/- पांच लाख सतहत्तर हजार एक सौ पैंतालीस रूपये मात्र 31.03.2025 तक	संपत्ति स्थित ग्राम भानपुरा, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर मप्र 458775, क्षेत्रफल 1865 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) 5017767, दिलीप माली (ऋणी), मुन्ना (सहऋणी/बंधककर्ता), कारी बाई (सहऋणी), सुन्दर लाल (सहऋणी), रामनारायण माली (गारंटर)	27.05.2025 Rs. 2,93,360/- दो लाख तिरानवे हजार तीन सौ साठ रूपये मात्र 31.03.2025 तक	संपत्ति स्थित पीएच नं. 43, वार्ड नं. 03, ग्राम अजयपुर, तहसीलसुवासरा, जिला मंदसौर, मप्र क्षेत्रफल 458888, क्षेत्रफल 1575 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) 5022889, जितेन्द्र (ऋणी/बंधककर्ता), प्रीतम सिंह (सहऋणी), पूजा बाई (सहऋणी)	27.05.2025 Rs. 2,51,575/- दो लाख इक्यावन हजार पांच सौ पिचहत्तर रूपये मात्र 31.03.2025 तक	संपत्ति स्थित पीएच नं. 7, एलएसएन 199, मकान नं. 36, ग्राम यशवंत नगर, जीपी लिंबोदा, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मप्र क्षेत्रफल 456665 क्षेत्रफल 768 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) 5024959, जितेन्द्र बंजारा (ऋणी), चन्दर (सहऋणी/बंधककर्ता), अयोध्या (सहऋणी)	27.05.2025 Rs. 2,63,551/- दो लाख तिरेसठ हजार पांच सौ इक्यावन रूपये मात्र 31.03.2025 तक	संपत्ति स्थित पट्टा नं. 79, एलएसएन 199, मकान नं. 14, ग्राम यशवंता नगर, जीपी लिंबोदा, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मप्र 456665, क्षेत्रफल 624 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) 5024962, राकेश (ऋणी/बंधककर्ता), गोवर्धन (सहऋणी), राजू बाई (सहऋणी)	27.05.2025 Rs. 2,89,819/- दो लाख नवासी हजार आठ सौ उन्नीस रूपये मात्र 31.03.2025 तक	संपत्ति स्थित पीएच नं. 28, एलएसएन 199, मकान नं. 41, ग्राम यशवंतानगर जीपी लिंबोदा तहसील तराना जिला उज्जैन, मप्र 456665 क्षेत्रफल 1470 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) 5037922, मुकेश परमार (ऋणी/बंधककर्ता), सरजू बाई परमार (सहऋणी)	27.05.2025 Rs. 2,28,051/- दो लाख अट्ठाईस हजार इक्यावन रूपये मात्र 31.03.2025 तक	संपत्ति स्थित पीएच नं. 38, मकान नं. 108, खसरा नं. 638, ग्राम मंडोडा, तहसील बडोदिया, जिला शाजापुर, मप्र 465001, क्षेत्रफल 240 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) 5048124, भैरू लाल चमार (ऋणी/बंधककर्ता), शान्ती बाई चमार (सहऋणी), प्रकाश चमार (सहऋणी), भागीरथ चमार (सहऋणी), गोपाल (गारंटर)	27.05.2025 Rs. 4,72,770/- चार लाख बहत्तर हजार सात सौ सत्तर रूपये मात्र 31.03.2025 तक	संपत्ति स्थित एलएसएन 1383, पीएच नं. 29, ग्राम बेहपुर, तहसील दलौडा जिला मंदसौर, मप्र 458669, क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) 6002098, संजय जाट (ऋणी/बंधककर्ता), मधु (सहऋणी)	27.05.2025 Rs. 3,53,398/- तीन लाख तिरेपन हजार तीन सौ अठानवे रूपये मात्र 31.03.2025 तक	संपत्ति स्थित पीएच नं. 32, वार्ड नं. 10, मोहल्ला चन्द्रशेखर आजाद मार्ग हाटपिपलिया, तहसील हाटपिपलिया जिला देवास, मप्र 455223, क्षेत्रफल 660 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) 6002426, विकी (ऋणी/बंधककर्ता), कोमल (सहऋणी)	27.05.2025 Rs. 5,22,356/- पांच लाख बाईस हजार तीन सौ छप्पन रूपये मात्र 31.03.2025 तक	संपत्ति स्थित पीएच नं. 31, सर्वे नं. 232, वार्डनं. 20, मकान नं. 211, ग्राम एवं जीपी पंथ पिपलाई, तहसील एवं जिला उज्जैन, मप्र 456006, क्षेत्रफल 600 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) 6010335, रूपा (ऋणी), निर्मला बाई (सहऋणी/बंधककर्ता),	27.05.2025 Rs. 3,95,981/- तीन लाख पिच्यानवे हजार नौ सौ इक्यासी रूपये मात्र 31.03.2025 तक	संपत्ति स्थित मकान नं. 112, ग्राम बंदेरा, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, मप्र 451224, क्षेत्रफल 330 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) 6010523, रामेश्वर अवालाश्य (ऋणी/बंधककर्ता), संजू बाई (सहऋणी)	27.05.2025 Rs. 4,44,782/- चार लाख चवालीस हजार सात सौ बयासी रूपये मात्र 31.03.2025 तक	संपत्ति स्थित पीएच नं. 58, मकान नं. 125, ग्राम निमसार, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, मप्र क्षेत्रफल 828 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) 6013586, राकेश भदरवाल (ऋणी), रानी भदरवाल (सहऋणी/बंधककर्ता)	27.05.2025 Rs. 5,05,896/- पांच लाख पांच हजार आठ सौ छियानवे रूपयेमात्र 31.03.2025 तक	संपत्ति स्थित पीएच नं. 23, मकान नं 48, वार्ड नं. 13, ग्राम महुआखेडी, तहसील कलापीपल जिला शाजापुर, मप्र क्षेत्रफल 1080 वर्गफीट

उक्त अधिनियम के तहत ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर को सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्तियों को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास औरध्या दंड का सामना करना पड़ेगा।

दिनांकः 05.09.2025
स्थानः इन्दौर, मप्र

प्राधिकृत अधिकारी
सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
[सीएफएमएआरसी ट्रस्ट - 159 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत]